राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ 2 (ग) ए.सी.पी./अलेसे–I/6986-87 दिनांक– 14-03.2012

कार्यालय आदेश संख्या 276/2011–12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री हरिश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 06.10.1959 है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 24.12.1982 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने दिनांक 24.12.2009 को 27 वर्ष की सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है, अतः इन्हें दिनांक 24.12.2009 से लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. वेतनमान पे–बैण्ड 15600–39100 एवं ग्रेड–पे 6000 स्वीकृत किया जाता है।

श्री हरिश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी को उक्त ए.सी.पी. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री हरिश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88) एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 5400 में वेतन प्राप्त कर रहे है।

निदेशक

क्रमांक :– एफ 2 (ग) ए.सी.पी./अलेसे–I/6986-87 दिनांक– 14-03.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कोषाधिकारी अलवर।
2. श्री हरिश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय कोषाधिकारी अलवर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I)